

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

{समक्ष :डी.एस.मण्डलोई}

फौज.प्र.क्र. : 740 / 14

संस्थित दि: 20 / 08 / 14

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बिरसा,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... अभियोगी

विरुद्ध

1. देवेन्द्र कुमार पिता स्व. मदनलाल जैन, उम्र 37 वर्ष,
साकिन बिरसा वार्ड नं. 21 थाना बिरसा, जिला बालाघाट
2. विनय यादव पिता नाथून यादव, उम्र 28 वर्ष,
साकिन रिछियावा थाना नवबिहा, जिला पलारु झारखण्ड,
हाल मुकाम सालेटेकरी, जिला बालाघाट (म.प्र.)..... आरोपीगण

—:: निर्णय ::—

(आज दिनांक 20 / 08 / 2014 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी देवेन्द्र एवं आरोपी विनय यादव पर आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) का आरोप है कि आरोपी देवेन्द्र कुमार दिनांक 15/07/14 को समय 15:50 बजे, ग्राम कैण्डाटोला चौक मेन रोड थाना बिरसा अन्तर्गत अपने आधिपत्य में एक प्लास्टिक की बोरी के अन्दर एक बक्से में 24 पांव, 180 एम.एल रुपये कीमती 3360/- रुपये की अंग्रेजी शराब एवं आरोपी विनय यादव एक प्लास्टिक की सफेद रंग की बोरी के अन्दर दो बक्से 12+12 बोतल हेवर्ड बियर, 650 एम.एल, कुल 24 बोतल कीमती 3120/-रुपये की शराब अवैध रूप से बिना अनुज्ञप्ति अथवा अनुज्ञा-पत्र के रखे हुए पाये गये।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना बिरसा में पदस्थ उमेलाल झूलेश्वर दिनांक 15.07.2014 को ग्राम गस्ती के लिये गया था तो उसे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति लाल रंग हीरो होण्डा मोटरसाइकिल पर बक्से में अवैध रूप से शराब लेकर बिरसा तरफ आ रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर हमराही आरक्षक 1205, 748 को लेकर कैण्डाटोला चौक मेन रोड पर पहुंचा। उसे बिरसा तरफ दो व्यक्ति मोटरसाइकिल से आते देखे, जिन्हें पास में आने पर उसने हाथ देकर रोका। मोटरसाइकिल पर सामने बैठा व्यक्ति एक सफेद प्लास्टिक की बोरी में 02 में बक्से रखा था। जिनकी तालाशी लेने पर आरोपी देवेन्द्र के कब्जे से 24 पांव,

180 एम.एल रुपये कीमती 3360/- रुपये की अंग्रेजी शराब एवं आरोपी विनय यादव के कब्जे से एक प्लास्टिक की सफेद रंग की बोरी के अन्दर दो बक्से में 12+12 बोतल हेवर्ड बियर, 650 एम.एल, कुल 24 बोतल कीमती 3120/-रुपये की शराब अवैध रूप से रखे हुए पाये गये। आरोपीगण से शराब रखने के लायसेंस के संबंध में पूछने पर आरोपीगण ने लायसेंस न होना व्यक्त किया। बिना लायसेंस के शराब पाया जाना मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के तहत दण्डनीय अपराध होने से आरोपीगण से उक्त शराब एवं हीरो होण्डा मोटरसाइकिल क्रमांक सी.जी.07/ए.ई. 7775 को समक्ष गवाहों के जप्त कर, आरोपीगण को गिरफ्तार कर, आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्र. 96/14 अन्तर्गत धारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 34 (क) के तहत यह अभियोग पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

(03) आरोपीगण को मेरे द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर आरोपीगण को पढकर सुनाई व समझाई गई।

(04) आरोपीगण के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

(अ) क्या आरोपी देवेन्द्र कुमार दिनांक 15/07/14 को समय 15:50 बजे, ग्राम कैण्डाटोला चौक मेन रोड थाना बिरसा अन्तर्गत अपने आधिपत्य में एक प्लास्टिक की बोरी के अन्दर एक बक्से में 24 पांव, 180 एम.एल रुपये कीमती 3360/- रुपये की अंग्रेजी शराब अवैध रूप से बिना अनुज्ञप्ति अथवा अनुज्ञा-पत्र के रखे हुए पाया गया ?

(ब) क्या आरोपी विनय यादव उक्त दिनांक, समय व स्थान पर एक प्लास्टिक की सफेद रंग की बोरी के अन्दर दो बक्से 12+12 बोतल हेवर्ड बियर, 650 एम.एल, कुल 24 बोतल कीमती 3120/-रुपये की शराब अवैध रूप से बिना अनुज्ञप्ति अथवा अनुज्ञा-पत्र के रखे हुए पाया गया?

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 'अ' एवं 'ब' पर एक साथ सकारण निष्कर्ष :-

(05) आरोपीगण को मेरे द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर आरोपीगण को पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया।

(06) आरोपीगण द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध की स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपीगण को आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है ।

(07) अभियोजन द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः आरोपीगण का यह प्रथम अपराध होना प्रकट होता है। आरोपीगण के द्वारा अपराध की स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति के फलस्वरूप आरोपीगण को परीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।

(08) आरोपी देवेन्द्र कुमार एवं आरोपी विनय यादव को आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए क्रमशः 1500/- रुपये, 3000/-रुपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया जाता है।

(09) अर्थदण्ड की राशि अदा न करने के व्यतिक्रम में आरोपीगण को एक-एक माह के साधारण कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे ।

(10) प्रकरण में जप्तशुदा एक प्लास्टिक की बोरी के अन्दर एक बक्से में 24 पांव, 180 एम.एल कीमती 3360/- रुपये की अंग्रेजी शराब एवं एक प्लास्टिक की सफेद रंग की बोरी के अन्दर दो बक्से में 12+12 बोतल हेवर्ड बियर, 650 एम.एल, कुल 24 बोतल कीमती 3120/-रुपये की शराब मूल्यहीन होने से विधिवत् नष्ट की जावे तथा हीरो होण्डा मोटरसाइकिल क्रमांक सी.जी.07/ए.ई.7775 सुपुर्दगी पर है। उक्त सुपुर्दगीनामा भारमुक्त हो ।

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित
किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथमश्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट